न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन स. 191/2022 अन्तर्गत धारा 111,128 एल आर एक्ट

छगनलाल वगैरा बनाम जगदीश वगैरा

पीठासीन अधिकारी –श्री रामजी भाई कलबी आर ए एस

प्रार्थीगण वकील – श्री शाकर खान

निर्णय

दिनांक 27.10.2022

प्रस्तुत प्रकरण मे संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र मे कथन किया है कि तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र सालारिया भू.अ.नि.क्षेत्र सेड़वा के मौजा सालारिया के खेत खसरा संख्या 658/370 रकबा 7.2843 हैक्ट. किस्म बारानी सोयम स्थित है। प्रार्थीगण के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पडोसी है। जिनके खेत प्रार्थीगण के खेत के पडोस मे स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काश्त अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते है। प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थीगण ने पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को जवाब पेश करने हेतु न्यायहित मे अनेक अवसर दिये जाने के बावजुद भी विप्रार्थीगण द्वारा जवाब पेश नही किया गया। अतः उनका जवाब का अवसर बंद किया जाता है। उक्त अनवान पर वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। पत्रावली के सलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण के वक्त काश्त प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओ को लेकर विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमी की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थीगण विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार राजस्व रेकर्ड मे दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार की जाकर विवादित भूमि तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र सालारिया भू.अ.नि.क्षेत्र सेडवा के मौजा सालारिया के खेत खसरा संख्या 658/370 रकबा 7.2843 हैक्ट किस्म बारानी सोयम की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर को निर्देश दिये जाते है कि वो दोनो पक्षो के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पैमाईश करे व भूमापक कर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते है कि किसी सक्षम न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनो पक्षो के रूबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति व कब्जे काश्त मे परिवर्तन किये बिना मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर [illegible] करे व नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे [illegible] दौरान किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम स्थापित नही किये जावे और [illegible] स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहरीर जारी हो।

तहसीलदार सेडवा को आदेश दिया जाता है कि [illegible] की उपस्थिति मे करावे एव नेखमबन्दी के [illegible] नेखमबन्दी विप्रार्थीगण [illegible] न हो।

पत्रावली पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेश हो पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल [illegible]।

निर्णय आज दिनांक 27.10.2022 को न्यायालय के खुले परिसर मे सुनाया गया।

(रामजी भाई कलबी)

उपखण्ड अधिकारी, सेड़वा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2022.11.11 14:34:48 IST
Reason: SelfAttested